संख्या-84/2021/612/71-1-2021-जी-03-2016टी0सी0-8

प्रेषक,

एस0 पी0 सिंह,
अनु सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊ :दिनॉक 13 अप्रैल, 2021

विषय:- वित्तीय वर्ष 2021-22 में राजकीय मेडिकल कालेज, आगरा में उपकरणों के क्रय हेतु मानक मद-26-मशीने और सज्जा/उपकरण एवं संयंत्र मद में स्वीकृत धनराशि से उपकरणों के क्रय हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक जिलाधिकारी, आगरा के पत्र संख्या-एस0पी0एस0/2021-22/3475-77, दिनॉक 11-04-2021 एवं पत्र संख्या-एस0पी0एस0/2021-22/3479-81, दिनॉक 12-04-2021 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय मेडिकल कालेज, आगरा में उपकरणों के क्रय हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत मानक मद-26-''मशीने और सज्जा/उपकरण और संयंत्र'' मद में प्राविधानित धनराशि रू0 480.00 लाख के सापेक्ष राजकीय मेडिकल कालेज, आगरा में 120 बेड विद मैट्रस के क्रय हेतु रू0 19.20 लाख तथा 50 मल्टी पैरा उपकरणों के क्रय हेतु रू0 50.00 लाख कुल रू0 रू0 69,20,000/- (रू0 उनहत्तर लाख बीस हजार मात्र) की निम्नांकित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते है:-

1- विद्यमान वित्तीय नियमों व प्राविधानों का पालन करते हुए तथा नियमानुसार पारदर्शी प्रक्रिया को अपनाते हुये ही उपकरणों का क्रय किया जाये।
2- उपकरणों के प्रोपरायटरी होने का निर्धारण किये जाने का दायित्व महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षाण, उ0प्र0 तथा संबंधित मेडिकल कालेज के प्रधानाचार्य का होगा। क्रय किये जाने वाले उपकरणों के स्पेसिफिकेशन, क्रय प्रक्रिया सुनिश्चित करने का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व प्रधानाचार्य का होगा।
3- उपकरणों की गुणवत्ता मानक के अनुसार निर्धारित करते हुये आपूर्ति प्राप्त किये जाने का दायित्व संबंधित प्रधानाचार्य का होगा।
4- उपकरणों के क्रय के उपरान्त विभागीय बजट में प्राविधानित धनराशि का उपभोग प्रमाणपत्र निर्धारित प्रारूप पर वित्त नियंत्रक/वित्त अधिकारी द्वारा चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 को उपलब्ध कराया जायेगा।
5- उपकरणों क्रय हेतु उ0प्र0 शासन द्वारा निर्गत सुसंगत नियमों व शासनादेशों एवं यू0पी0 प्रोक्योरमेन्ट एण्ड गुड्स मैनुअल, 2016 में में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
6- उक्त स्वीकृत धनराशि से उपकरणों का क्रय नियमानुसार क्रय प्रक्रिया पूर्ण करके किया जाएगा।
7- स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग उन्हीं कार्यो/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।
8- स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण कोषागार से वास्तविक आवश्यकतानुसार तभी किया जायेगा, जबकि उपकरणों के क्रय की सम्पूर्ण प्रक्रिया पूर्ण हो जाए। स्वीकृत की जा रही धनराशि पी0एल0ए0 अथवा बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी।
9- कोविड-19 की आकस्मिकता के दृष्टिगत महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ नियमानुसार द्वारा 0प्र0 करेंगे। सुनिश्चित कराना पूर्ण कार्यवाही वरितत्
10- डुप्लीकेसी से बचने हेतु उपकरण क्रय करने से पूर्व सत्यापित करा लिया जाए कि विगत 05 वर्षो में इस प्रकार के उपकरण की क्रयदारी नहीं की गई तथा उपकरण रखने हेतु स्थान संरक्षित एवं संसाधनयुक्त है।
11- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-11/2017/523/18-2-2017-97(ल0उ0) /2016, दिनॉक 23.08.2017 में दिए गए दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
12- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-1/2018/868/18-2-2017-2(एस0पी0) /2017, दिनॉक 15.01.2018 में विहित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए कार्यालयाध्यक्ष (रू0 1.00 लाख तक)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

तथा विभागाध्यक्ष द्वारा (रू0 50.00 लाख) क्रयाधिकार संबंधी निर्धारित सीमाओं के अन्तर्गत ही क्रय प्रक्रिया सम्पादित की जायेगी। अन्यथा की स्थिति में सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही क्रयादेश निर्गत किये जायेंगे।

13- पारदर्शी प्रक्रिया से गुणवत्तायुक्त सामग्री का क्रय तथा तदनंतर आडिट का उत्तरदायित्व संबंधित प्रधानाचार्य/महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण का होगा।

14- राज्य के प्रतिष्ठित संस्थानों द्वारा पूर्व में निर्गत क्रय आदेशों तथा दर अनुबन्ध इत्यादि के आधार पर आकस्मिक क्रय किये जाने की अनुमति किये जाने संबंधी आदेश पृथक से निर्गत किया जा रहा है। तद्नुसार महानिदेशक/प्रधानाचार्य द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में क्रय की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

2- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-31 के अधीन लेखाशीर्षक ''4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-03-चिकित्सा, शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-38-राजकीय मेडिकल कालेज, आगरा-26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र'' के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021] दिनांक 22-03-2021 में प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिहित किये गये अधिकारों के अधीन निर्गत किए जा रहे हैं।

भवदीय

(एस0 पी0 सिंह)
अनु सचिव

संख्या:-तद्यदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- वित्त नियंत्रक, महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
3- जिलाधिकारी, आगरा।
4- प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, आगरा।
5- वित्त नियंत्रक, मेडिकल कालेज, आगरा।
6- वरिष्ठ कोषाधिकारी, आगरा।
7- नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2,
8- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(एस0 पी0 सिंह)
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।